"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 जनवरी 2008— पौष 28, शक 1929

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

क्रमांक ई-1-10/2007/1/2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान (रु. 15100-400-18300) में पदोन्नत किया जाता है तथा उनके नाम के समक्ष उल्लेखित पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है :-

स. क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	डॉ. मनिन्दर कौर द्विवेदी (1995)	संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, रायपुर.	संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, रायपुर.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री गौरव द्विवेदी (1995)	प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम एवं प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य विपणन संघ मर्या.	प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम एवं प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विपणन संघ मर्या.

2. डॉ. मनिन्दर कौर द्विवेदी एवं श्री गौरव द्विवेदी द्वारा पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम-9 के तहत संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, रायपुर एवं प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम तथा प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य विपणन संघ मर्या. के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

क्रमांक ई-1-17/2007/1/2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (रु. 10650-325-15850) में पदोन्नत किया जाता है तथा उनके नाम के समक्ष उल्लेखित पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है :-

स. क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री अंबलगन पी. (2004)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दंतेवाड़ा.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दंतेवाड़ा.
2.	सुश्री संगीता पी. (2004)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जांजगीर-चांपा.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जांजगीर-चांपा.
3.	श्रीमती अलरमेलमंगई डी. (2004)	अनुविभागीय अधिकारी, दंतेवाड़ा	अपर कलेक्टर, दंतेवाड़ा

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवराज सिंह, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2007

क्रमांक ई-7/60/2004/1/2.—श्री परदेशी सिद्धार्थ कोमल, भा. प्र. से., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर को दिनांक 24-12-2007 से 01-01-2008 तक (09 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 23-12-2007 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री परदेशी आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री परदेशी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री परदेशी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री परदेशी सिद्धार्थ कोमल के उक्त अवकाश अवधि में श्री पी. डी. झा, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर का कार्य भी सम्पादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

क्रमांक ई-7/40/2004/1 /2.—डॉ. बी. एस. अनंत, भा. प्र. से, संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को दिनांक 24-12-2007 से 02-01-2008 तक (10 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 23-12-2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. अनंत आगामी आदेश तक संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में डॉ. अनंत को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. अनंत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 2 जनवरी 2008

क्रमांक ई-7/13/2007/1 /2.—श्री अंकित आनन्द, भा. प्र. से., सहायक कलेक्टर, दन्तेवाड़ा को दिनांक 24-12-2007 से 02-01-2008 तक (10 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 23-12-2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अंकित आनन्द आगामी आदेश तक सहायक कलेक्टर, दन्तेवाड़ा के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री अंकित आनन्द को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि अंकित आनन्द अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 3 जनवरी 2008

क्रमांक ई-7/20/2004/1 /2.—श्री आर. सी. सिन्हा, भा. प्र. से., सदस्य, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़, बिलासपुर को दिनांक 13-12-2007 से 24-12-2007 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 25-12-2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिन्हा, आगामी आदेश तक सदस्य, राजस्व मण्डल, बिलासपुर के पद पर पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सिन्हा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री सिन्हा, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 3 जनवरी 2008

क्रमांक ई-7/50/2004/1 /2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10-12-2007 द्वारा श्रीमती निहारिका बारिक, भा. प्र. से., आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली को दिनांक 22-12-2007 से 28-12-2007 तक (07 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है. इसी के अनुक्रम में श्रीमती बारिक, भा. प्र. से. को दिनांक 29-12-2007 से 2-1-2008 तक (05 दिवस) का और अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

रायपुर, दिनांक 3 जनवरी 2008

क्रमांक ई-7/58/2004/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12-12-2007 द्वारा श्री पी. जॉय उम्मेन, भा. प्र. से, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य, उद्योग, आवास एवं पर्यावरण विभाग को दिनांक 24-12-2007 से 01-01-2008 तक (09 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है. इसी अनुक्रम में श्री उम्मेन, भा. प्र. से. को दिनांक 02-01-2008 को एक दिवस का और अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 जनवरी 2008

क्रमांक एफ 2-2/16/2007.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 9 की उपधारा (1) सहपठित औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (क्रमांक 14 सन् 1947) की धारा 7अ की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री गिरीश चंद्र बाजपेयी, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश (प्रवर श्रेणी) को छत्तीसगढ़ राज्य के औद्योगिक न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक की अवधि के लिए नियुक्त करता है.

No.F 2-2/16/2007.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 of the Chhattisgarh Industrial Relations Act, 1960 (No. 27 of 1960) read with sub-section (2) of Section 7A of the Industrial Disputes Act. 1947 (No. 14 of 1947) the State Government hereby, appoints Shri Girish Chandra Bajpai. Retired District Judge (Super time Scale) as Presiding Officer of the Industrial Court and Industrial Tribunal with effect from the date he assumes the charge of the office until he attains the age of 65 years.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. सरोज, संयुक्त सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 जनवरी 2008

क्रमांक 12/725/2007/13/1.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एस. भारती, उप अभियंता को छ. ग. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 12-12-2007 में समिति द्वारा पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने के फलस्वरूप सहायक अभियंता (वि. सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक के पद पर वेतनमान रुपये 8000-275-13500 में पदोन्नत करते हुए उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कार्यालय सहायक अभियंता (वि. सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक, उप संभाग, राजनांदगांव के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है.

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी नियमों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवासीष दास, विशेष सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2007

क्रमांक एफ 1-8/2007/11/(6).— इस विभाग द्वारा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दुर्ग/रायपुर/बिलासपुर एवं रायगढ़ में महाप्रबंधक के स्थान पर मुख्य महाप्रबंधक को कार्यालय प्रमुख घोषित किये जाने संबंधी समसंख्यक आदेश दिनांक 31-07-07 के तारतम्य में इस विभाग द्वारा औद्योगिक नीति 2001-06 में घोषित रियायतों के क्रियान्वयन हेतु जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं में आंशिक संशोधन करते हुए महाप्रबंधक के स्थान पर मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक प्रति स्थापित किया जाता है :-

1.	एफ 14-2/03/(6)/11-(2) दि. 07-06-2003	छत्तीसगढ़ राज्य ब्याज अनुदान नियम 2001
2.	एफ 14-2/03/(6)/11-(3) दि. 07-06-2003	छत्तीसगढ़ राज्य लागत पूंजी सहायता नियम 2001
3.	एफ 14-2/03/(6)/11-(4) दि. 07-06-2003	छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए मार्जिन मनी नियम 2001.
4.	एफ 14-2/03/(6)/11-(5) दि. 07-06-2003	छत्तीसगढ़ राज्य गुणवत्ता प्रमाणीकरण नियम 2001
5.	एफ 14-2/03/(6)/11-(6) दि. 07-06-2003	छत्तीसगढ़ राज्य तकनीकी पेटेंट अनुदान नियम 2001
6.	एफ 14-2/03/(6)/11-(7) दि. 07-06-2003	छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना प्रतिवेदन लागत प्रतिपूर्ति अनुदान नियम 2001.
7.	एफ 14-2/03/(6)/11-(8) दि. 07-06-2003	छत्तीसगढ़ राज्य अधोसंरचनात्मक सहायता नियम 2001
8.	एफ 14-2/03/(6)/11-(9) दि. 07-06-2003	छत्तीसगढ़ राज्य प्रौद्योगिकी प्रोन्नति नियम 2001

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2007

क्रमांक एफ 1-18/2006/11/(6).— विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित सहायक संचालकों/प्रबंधकों को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से उप संचालक उद्योग/महाप्रबंधक के पद पर वेतनमान रुपये 10000-325-15200 में पदोन्नत करता है.

2. पदोन्नति पश्चात् नीचे दर्शायी गई तालिका के कॉलम क्र. 3 से कॉलम क्र. 4 के अनुसार पदस्थापना की जाती है :-

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री बी. पी. मिश्रा	प्रभारी महाप्रबंधक, महासमुंद	महाप्रबंधक, जिव्याउके, महासमुंद
2.	श्री जी. के. सिन्हा	प्रभारी महाप्रबंधक, जशपुर	महाप्रबंधक, जिव्याउके, जशपुर
3.	श्री एन. जे. पटले	प्रबंधक, जिव्याउके, दुर्ग	महाप्रबंधक, जिव्याउके, दुर्ग
4.	श्री संजीव कुमार विग	प्रतिनियुक्ति पर प्रबंधक, सीएसआईडीसी, रायपुर.	प्रतिनियुक्ति पर उपसंचालक/महाप्रबंधक,सीएसआईडीसी, रायपुर.
5.	श्री सलोमनमैथ्यू सिलाह	सहायक संचालक, उद्योग संचालनालय.	उप संचालक, उद्योग संचालनालय, रायपुर
6.	श्री तिलक राम वैद्य	प्रबंधक, जिव्यांउके, रायपुर	महाप्रबंधक, जिव्याउके, रायपुर

3. प्रमाणित किया जाता है कि इस पदोन्नति के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के अधीन निर्धारित आरक्षण (रोस्टर) का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद गुप्ता, विशेष सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2007

क्रमांक/4928/बी-8/11-1/2007/14-2.— भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग के पत्र क्रमांक 13011/02/2007-क्रेडिट-2, (पीटी-1) 18 अक्टूबर 2007 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा राज्य की 18 तहसीलों में चयनित फसलों (जिनका विवरण नीचे दी गई तालिका में है) के लिए पायलट आधार पर रबी 2007-08 मौसम हेतु मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यू.बी. सी. आई. एस.) लागू करती है. इस योजना का क्रियान्वयन एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से किया जायेगा.

पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना, मौसम रबी वर्ष 2007-08 की जिलों एवं तहसीलों की सूची :-

क्र. (1)	जिला (2)	चयनित तहसील (3)	चयनित फसल (4)
1.	दुर्ग	1. दुर्ग 2. बेमेतरा 3. बेरला 4. साजा 5. नवागढ़	1. चना 2. अलसी 3. राई-सरसौ
2.	राजनांदगांव	1. राजनांदगांव 2. डोंगरगांव	1. चना 2. अलसी 3. राई-सरसौ
3.	कवर्धा	1. कवर्धा 2. पंडरिया	1. चना 2. अलसी 3. राई-सरसौ
4.	बिलासपुर	1. बिलासपुर 2. मुंगेली 3. लोरमी	1. चना 2. अलसी 3. राई-सरसौ
5.	सरगुजा	1. अम्बिकापुर 2. सीतापुर 3. सूरजपुर 4. लुन्ड्रा 5. पाल 6. सामरी (कुसमी)	1. आलू

मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को देय कुल प्रीमियम राशि, (जिसमें कृषकों द्वारा देय प्रीमियम राशि भी सम्मिलित हैं) जोखिम अवधि, आवरित जोखिम, बीमा राशि, बीमा हेतु अंतिम तिथियों का जिलेवार, तहसीलवार, फसलवार, संदर्भित मौसम केन्द्रवार, विवरण परिशिष्ट-1 पर है.

इस योजना का क्रियान्वयन रबी 2007-08 में निम्नानुसार किया जाएगा :-

1. मौसम आधारित फसल बीमा योजना में अधिसूचित फसल एवं क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना क्रियान्वित नहीं की जाएगी अर्थात् उपरोक्त फसलों हेतु उपरोक्त दर्शित तहसीलों में तहसील इकाई आधार राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का रबी 2007-08 मौसम में क्रियान्वयन हेतु इस विभाग की जारी अधिसूचना क्रमांक 4043, दिनांक 11-10-2007 विलोपित की जाती है.

2. यह पायलट योजना अधिसूचित फसल व क्षेत्र के सभी ऋणी एवं अऋणी किसानों को उपलब्ध होगी. ऋणी किसानों के लिए योजना अनिवार्य तथा अऋणी किसानों के लिए ऐच्छिक होगी.

3. इस योजना के लिए ऋणी किसान वही हैं, जिनके लिए अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल के लिए संदर्भित इकाई क्षेत्र में वित्तीय संस्थान से अनुमोदित ऋण/साख सीमा दी गई हो.

4. बीमित राशि लगभग कृषि कार्य खर्च के बराबर रहेगी और ए. आई. सी. द्वारा पहले इसकी घोषणा कर दी जाएगी, संलग्न परिशिष्ट-1 में इसका विवरण है. व्यक्तिगत कृषक के लिए बीमित राशि कृषकों द्वारा जोत के अन्तर्गत अधिसूचित फसल के लिए रकबा (हेक्टेयर में) एवं अधिसूचना में दर्शायी गयी बीमित राशि का गुणांक होगा. जोत के अन्तर्गत रकबा हमेशा हेक्टेयर में दर्शाया जाएगा.

[बीमा राशि जोत के अन्तर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर) x पूर्व निर्धारित बीमा राशि प्रति हेक्टेयर]

5. फसलवार जोत के अन्तर्गत क्षेत्र के प्रति फसल के आधार पर निम्नानुसार गणना होगी.

(क) **ऋणी कृषक :** अधिसूचित फसल के लिए जोत के अन्तर्गत रकबे की घोषणा उसके द्वारा पहले ही वित्तीय संस्था में उसकी अधिकतम ऋण सीमा (मैक्जीमम बारोइंग लिमिट, एबीएल) निश्चित करने के उद्देश्य के लिए, ऋण आवेदन पत्र में दिए गए आधार पर कर दी जाएगी.

(ख) **अऋणी कृषक :** किसान बीमा प्रस्ताव पत्र में प्रत्येक अधिसूचित फसल के लिए जोत के अन्तर्गत रकबे की घोषणा करेगा.

6. इस योजना का संचालन चयनित अधिसूचित संदर्भित इकाई क्षेत्र में "क्षेत्र दृष्टिकोण" (एरिया एप्रोच) सिद्धांत के आधार पर होगा. "क्षेत्र दृष्टिकोण" से आशय संदर्भ इकाई क्षेत्र से हैं संदर्भित इकाई क्षेत्र को फसलों की जोखिम स्वीकार करने और मुआवजा आंकलन के लिए बीमित इकाई क्षेत्र माना गया है. इस प्रकार, अधिसूचित संदर्भित इकाई क्षेत्र में अधिसूचित फसल के सभी बीमित किसानों को उनकी बीमा शर्तों और मुआवजा आंकलन के संबंध में बराबर माना जाएगा.

7. प्रीमियम दर की गणना वास्तविक आधार पर मानक प्रीमियम दर विधि (स्टैण्डर्ड प्रीमियम रेटिंग मेथेडोलोजी) का उपयोग कर की गई है. किसान द्वारा शुद्ध प्रीमियम राशि के बराबर देय होगी एवं व्यावसायिक फसल हेतु प्रीमियम राशि को एक भाग कृषक द्वारा तथा शेष बची हुई प्रीमियम राशि का राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में अनुदान के रूप में वहन किया जायेगा. (फसलवार, क्षेत्रवार ब्यौरा परिशिष्ट-1 में दिया गया है.)

8. प्रतिकूल मौसमी घटनाक्रम की वजह से एवं योजना की शर्तों एवं प्राप्त प्रीमियम राशि तथा भुगतान सारणी के अधीन देय समस्त क्षतिपूर्ति/भुगतान हेतु एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया (AIC) उत्तरदायी होगी.

9. सभी प्रकार के दावों का भुगतान एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा वहन किया जाएगा.

10. **दावा भुगतान प्रक्रिया :**

(क) दावा राशि का भुगतान ए. आई. सी. द्वारा मौसम केन्द्र द्वारा आंकड़ें व सरकार द्वारा कोष उपलब्ध कराने पर शीर्ष बैंक शाखा को बीमा अवधि समाप्त होने पर 45 दिनों के भीतर कर दिया जायेगा.

(ख) चालू वर्ष में मौसम के ऑकड़ों का स्रोत परिशिष्ट-1 पर दर्शाया गया है..

(ग) मुआवजा प्रक्रिया स्वचलित होगी, एआईसी द्वारा मुआवजा आंकलन प्राप्त वास्तविक मौसम के ऑकड़े के आधार पर किया जायेगा, बीमित के खाते में, शीर्ष बैंक वित्तीय संस्था का उपयोग करते हुये मुआवजा राशि स्वयं ही जमा करा दी जायेगी.

11. अधिसूचित तहसीलों एवं फसलों में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत प्रायोजित फसल कटाई प्रयोगों का आयोजन यथावत किया जाएगा. किन्तु इन प्रयोगों के परिणाम का कोई असर मुआवजे की गणना अथवा भुगतान पर नहीं पड़ेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप सचिव.

परिशिष्ट-1

छत्तीसगढ़ राज्य मौसम आधारित फसल बीमा योजना (अग्रगामी) मौसम रबी 2007-08

संदर्भित इकाई क्षेत्र, संदर्भित मौसम केन्द्र, वैकल्पिक मौसम केन्द्र, फसलवार बीमित राशि, प्रीमियम की दरें, सरकारी अनुदान और किसान द्वारा रबी 2007-08 मौसम में अग्रगामी (पायलेट) बीमा योजनान्तर्गत देय प्रीमियम

जिला-बिलासपुर

क्र.	फसल	संदर्भित इकाई क्षेत्र	संदर्भित मौसम केन्द्र	वैकल्पिक (बेकअप) मौसम केन्द्र	आवरित मौसम जोखिम	जोखिम अवधि	बीमित राशि प्रति हेक्टर (रु.)	कुल प्रीमियम प्रति हेक्टर (रु.)	(कुल प्रीमियम सेवा कर सहित) प्रति हेक्टर (रु.)	(राज्य सरकार अनुदान, प्रीमियम सेवा कर सहित) प्रति हेक्टर (रु.)	(केन्द्र सरकार अनुदान सेवा कर सहित) प्रति हेक्टर (रु.)	(प्रीमियम+ सेवा कर) प्रति हेक्टर किसान द्वारा देय राशि (रु.)	बीमा करने की अंतिम दिनांक ऋणी कृषक	बीमा करने की अंतिम दिनांक अऋणी कृषक	एआईसी को घोषणा पत्र, प्रीमियम राशि के साथ जमा करने की अंतिम दिनांक ऋणी कृषक	एआईसी को घोषणा पत्र, प्रीमियम राशि के साथ जमा करने की अंतिम दिनांक अऋणी कृषक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	अलसी	बिलासपुर	बिलासपुर स्व.मौ. के.	बिलासपुर स्व. मौ. के.	1. उष्मा व अधिकतम तापमान में बढ़ोत्तरी.	1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008	15000	1200.00	1348.32	505.62	505.62	337.08	31 जनवरी 2008	31 दिसंबर 2007	29 फरवरी 2008	31 जनवरी 2008

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					2. बेमौसम वर्षा 3. कृमिओं के लिए अनुकूल मौसम व बीमारी.	1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008 1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008										
2.	अलसी	मुंगेली	मुंगेली स्व. मौ. के.	मुंगेली स्व. मौ. के.	1. उष्मा व अधिकतम तापमान में बढ़ोत्तरी. 2. बेमौसम वर्षा 3. कृमिओं के लिए. अनुकूल मौसम व बीमारी.	1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008 1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008 1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008	15000	1200.00	1348.32	505.62	505.62	337.08	31 जनवरी 2008	31 दिसंबर 2007	29 फरवरी 2008	31 जनवरी 2008
3.	अलसी	लोरमी	लोरमी स्व. मौ. के.	लोरमी स्व. मौ. के.	1. उष्मा व अधिकतम तापमान में बढ़ोत्तरी. 2. बेमौसम वर्षा 3. कृमिओं के लिए अनुकूल मौसम व बीमारी.	1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008 1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008 1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008	15000	1200.00	1348.32	505.62	505.62	337.08	31 जनवरी 2008	31 दिसंबर 2007	29 फरवरी 2008	31 जनवरी 2008

* स्वचलित मौसम केन्द्र (NCMSL)

** भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD)

परिशिष्ट-1

छत्तीसगढ़ राज्य मौसम आधारित फसल बीमा योजना (अग्रगामी) मौसम रबी 2007-08

संदर्भित इकाई क्षेत्र, संदर्भित मौसम केन्द्र, वैकल्पिक मौसम केन्द्र, फसलवार बीमित राशि, प्रीमियम की दरें, सरकारी अनुदान और किसान द्वारा रबी 2007-08 मौसम में अग्रगामी (पायलेट) बीमा योजनान्तर्गत देय प्रीमियम

जिला-कवर्धा

क्र.	फसल	संदर्भित इकाई क्षेत्र	संदर्भित मौसम केन्द्र	वैकल्पिक (बेकअप) मौसम केन्द्र	आवरित मौसम जोखिम	जोखिम अवधि	बीमित राशि प्रति हेक्टर (रु.)	कुल प्रीमियम प्रति हेक्टर (रु.)	(कुल प्रीमियम सेवा कर सहित) प्रति हेक्टर (रु.)	(राज्य सरकार अनुदान प्रीमियम सेवा कर सहित) प्रति हेक्टर (रु.)	(केन्द्र सरकार अनुदान सेवा कर सहित) प्रति हेक्टर (रु.)	(प्रीमियम+ सेवा कर) प्रति हेक्टर किसान द्वारा देय राशि (रु.)	बीमा करने की अंतिम दिनांक: ऋणी कृषक	बीमा करने की अंतिम दिनांक: अऋणी कृषक	एआईसी को घोषणा पत्र, प्रीमियम राशि के साथ जमा करने की अंतिम दिनांक: ऋणी कृषक	एआईसी को घोषणा पत्र, प्रीमियम राशि के साथ जमा करने की अंतिम दिनांक: अऋणी कृषक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	अलसी	कवर्धा	कवर्धा स्व. मौ. के.	कवर्धा स्व. मौ. के.	1. उष्मा व अधिकतम तापमान में बढ़ोत्तरी. 2. बेमौसम वर्षा. 3. कृमिओं के लिए अनुकूल मौसम व बीमारी.	1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008 1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008 1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008	15000	1200.00	1348.32	505.62	505.62	337.08	31 जनवरी 2008	31 दिसंबर 2007	29 फरवरी 2008	31 जनवरी 2008
	अलसी	पंडरिया	पंडरिया स्व. मौ. के.	पंडरिया स्व. मौ. के.	1. उष्मा व अधिकतम तापमान में बढ़ोत्तरी. 2. बेमौसम वर्षा. 3. कृमिओं के लिए अनुकूल मौसम व बीमारी.	1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008 1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008 1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008	15000	1200.00	1348.32	505.62	505.62	337.08	31 जनवरी 2008	31 दिसंबर 2007	29 फरवरी 2008	31 जनवरी 2008

* स्वचलित मौसम केन्द्र (NCMSL)

** भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD)

परिशिष्ट-1

छत्तीसगढ़ राज्य मौसम आधारित फसल बीमा योजना (अग्रगामी) मौसम रबी 2007-08

संदर्भित इकाई क्षेत्र, संदर्भित मौसम केन्द्र, वैकल्पिक मौसम केन्द्र, फसलवार बीमित राशि, प्रीमियम की दरें, सरकारी अनुदान और किसान द्वारा रबी 2007-08 मौसम में अग्रगामी (पायलेट) बीमा योजनान्तर्गत देय प्रीमियम

जिला-राजनांदगांव

क्र.	फसल	संदर्भित इकाई क्षेत्र	संदर्भित मौसम केन्द्र	वैकल्पिक (बेकअप) मौसम केन्द्र	आवरित मौसम जोखिम	जोखिम अवधि	बीमित राशि प्रति हेक्टर (रु.)	कुल प्रीमियम प्रति हेक्टर (रु.)	(कुल प्रीमियम सेवा कर सहित) प्रति हेक्टर (रु.)	(राज्य सरकार अनुदान प्रीमियम सेवा कर सहित) प्रति हेक्टर (रु.)	(केन्द्र सरकार अनुदान सेवा कर सहित) प्रति हेक्टर (रु.)	(प्रीमियम+ सेवा कर) प्रति हेक्टर किसान द्वारा देय राशि (रु.)	बीमा करने की अंतिम दिनांक		एआईसी को घोषणा पत्र, प्रीमियम राशि के साथ जमा करने की अंतिम दिनांक	
													ऋणी कृषक	अऋणी कृषक	ऋणी कृषक	अऋणी कृषक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	अलसी.	राजनांदगांव	राजनांदगांव स्व. मौ. के.	राजनांदगांव स्व. मौ. के.	1. उष्मा व अधिकतम तापमान में बढ़ोत्तरी. 2. बेमौसम वर्षा 3. कृमिओं के लिए अनुकूल मौसम व बीमारी.	1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008 1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008 1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008	15000	1200.00	1348.32	505.62	505.62	337.08	31 जनवरी 2008	31 दिसंबर 2007	29 फरवरी 2008	31 जनवरी 2008
2.	अलसी	डोंगरगांव	डोंगरगांव स्व. मौ. के.	डोंगरगांव स्व. मौ. के.	1. उष्मा व अधिकतम तापमान में बढ़ोत्तरी. 2. बेमौसम वर्षा. 3. कृमिओं के लिए अनुकूल मौसम व बीमारी.	1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008 1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008 1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008	15000	1200.00	1348.32	505.62	505.62	337.08	31 जनवरी 2008	31 दिसंबर 2007	29 फरवरी 2008	31 जनवरी 2008

* स्वचलित मौसम केन्द्र (NCMSL)

** भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD)

परिशिष्ट-1

छत्तीसगढ़ राज्य मौसम आधारित फसल बीमा योजना (अग्रगामी) मौसम रबी 2007-08

संदर्भित इकाई क्षेत्र, संदर्भित मौसम केन्द्र, वैकल्पिक मौसम केन्द्र, फसलवार बीमित राशि, प्रीमियम की दरें, सरकारी अनुदान और किसान द्वारा रबी 2007-08 मौसम में अग्रगामी (पायलेट) बीमा योजनान्तर्गत देय प्रीमियम

जिला-दुर्ग

क्र.	फसल	संदर्भित इकाई क्षेत्र	संदर्भित मौसम केन्द्र	वैकल्पिक (बेकअप) मौसम केन्द्र	आधारित मौसम जोखिम	जोखिम अवधि	बीमित राशि प्रति हेक्टर (रु.)	कुल प्रीमियम प्रति हेक्टर (रु.)	(कुल प्रीमियम सेवा कर सहित) प्रति हेक्टर (रु.)	(राज्य सरकार अनुदान प्रीमियम सेवा कर सहित) प्रति हेक्टर (रु.)	(केन्द्र सरकार अनुदान सेवा कर सहित) प्रति हेक्टर (रु.)	(प्रीमियम + सेवा कर) प्रति हेक्टर किसान द्वारा देय राशि (रु.)	बीमा करने की अंतिम दिनांक		एआईसी को घोषणा पत्र, प्रीमियम राशि के साथ जमा करने की अंतिम दिनांक	
													ऋणी कृषक	अऋणी कृषक	ऋणी कृषक	अऋणी कृषक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	अलसी	बेमेतरा	बेमेतरा स्व. मौ. के.	बेमेतरा स्व. मौ. के.	1. उष्मा व अधिकतम तापमान में बढ़ोत्तरी. 2. बेमौसम वर्षा. 3. कृमिओं के लिए अनुकूल मौसम व बीमारी.	1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008 1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008 1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008	15000	1200.00	1348.32	505.62	505.62	337.08	31 जनवरी 2008	31 दिसंबर 2007	29 फरवरी 2008	31 जनवरी 2008
2.	अलसी	बेरला	बेरला स्व. मौ. के.	बेरला स्व. मौ. के.	1. उष्मा व अधिकतम तापमान में बढ़ोत्तरी. 2. बेमौसम वर्षा. 3. कृमिओं के लिए अनुकूल मौसम व बीमारी.	1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008 1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008 1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008	15000	1200.00	1348.32	505.62	505.62	337.08	31 जनवरी 2008	31 दिसबर 2007	29 फरवरी 2008	31 जनवरी 2008

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.	अलसी	दुर्ग	दुर्ग स्व. मौ. के.	दुर्ग स्व. मौ. के.	1. उष्मा व अधिकतम तापमान में बढ़ोत्तरी. 2. बेमौसम वर्षा. 3. कृमिओं के लिए अनुकूल मौसम व बीमारी.	1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008 1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008 1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008	15000	1200.00	1348.32	505.62	505.62	337.08	31 जनवरी 2008	31 दिसंबर 2007	29 फरवरी 2008	31 जनवरी 2008
4.	अलसी	नवागढ़	नवागढ़ स्व. मौ. के.	नवागढ़ स्व. मौ. के.	1. उष्मा व अधिकतम तापमान में बढ़ोत्तरी. 2. बेमौसम वर्षा. 3. कृमिओं के लिए अनुकूल मौसम व बीमारी.	1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008 1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008 1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008	15000	1200.00	1348.32	505.62	505.62	337.08	31 जनवरी 2008	31 दिसंबर 2007	29 फरवरी 2008	31 जनवरी 2008
5.	अलसी	साजा	साजा स्व. मौ. के.	साजा स्व. मौ. के.	1. उष्मा व अधिकतम तापमान में बढ़ोत्तरी. 2. बेमौसम वर्षा. 3. कृमिओं के लिए अनुकूल मौसम व बीमारी.	1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008 1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008 1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008	15000	1200.00	1348.32	505.62	505.62	337.08	31 जनवरी 2008	31 दिसंबर 2007	29 फरवरी 2008	31 जनवरी 2008

* स्वचलित मौसम केन्द्र (NCMSL)

** भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD)

परिशिष्ट-1

छत्तीसगढ़ राज्य मौसम आधारित फसल बीमा योजना (अग्रगामी) मौसम रबी 2007-08

संदर्भित इकाई क्षेत्र, संदर्भित मौसम केन्द्र, वैकल्पिक मौसम केन्द्र, फसलवार बीमित राशि, प्रीमियम की दरें, सरकारी अनुदान और किसान द्वारा रबी 2007-08 मौसम में अग्रगामी (पायलेट) बीमा योजनान्तर्गत देय प्रीमियम

जिला-सरगुजा

क्र.	फसल	संदर्भित इकाई क्षेत्र	संदर्भित मौसम केन्द्र	वैकल्पिक (बेकअप) मौसम केन्द्र	आवरित मौसम जोखिम	जोखिम अवधि	बीमित राशि प्रति हेक्टर (रु.)	कुल प्रीमियम प्रति हेक्टर (रु.)	(कुल प्रीमियम सेवा कर सहित) प्रति हेक्टर (रु.)	(राज्य सरकार अनुदान प्रीमियम सेवा कर सहित) प्रति हेक्टर (रु.)	(केन्द्र सरकार अनुदान सेवा कर सहित) प्रति हेक्टर (रु.)	(प्रीमियम+ सेवा कर) प्रति हेक्टर किसान द्वारा देय राशि (रु.)	बीमा करने की अंतिम दिनांक ऋणी कृषक	बीमा करने की अंतिम दिनांक अऋणी कृषक	एआईसी को घोषणा पत्र, प्रीमियम राशि के साथ जमा करने की अंतिम दिनांक ऋणी कृषक	एआईसी को घोषणा पत्र, प्रीमियम राशि के साथ जमा करने की अंतिम दिनांक अऋणी कृषक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	आलू	अम्बिकापुर	अम्बिकापुर स्व. मौ. के.	अम्बिकापुर स्व. मौ. के.	1. पाला से फसल को नुकसान (कम तापमान)	1 जनवरी से 31 जनवरी, 2008	50000	6000.00	6741.60	1685.40	1685.40	3370.80	31 जनवरी 2008	31 दिसंबर 2007	29 फरवरी 2008	31 जनवरी 2008
					2. बीमारी अनुकूलन मौसम द्वारा फसल हानि.	1 जनवरी से 15 फरवरी, 2008										
					3. बेमौसम व अधिक वर्षा से फसल हानि.	16 जनवरी से 15 फरवरी, 2008										
					4. कंद निर्माण अवधि में तापमान में बढ़ोत्तरी.	1 जनवरी से 15 फरवरी, 2008										

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.	आलू	लुन्ड्रा	अम्बिकापुर स्व. मौ. के.	अम्बिकापुर स्व. मौ. के.	1. पाला से फसल को नुकसान. (कम तापमान)	1 जनवरी से 31 जनवरी, 2008	50000	5000.00	5618.00	1404.50	1404.50	2809.00	31 जनवरी 2008	31 दिसंबर 2007	29 फरवरी 2008	31 जनवरी 2008
					2. बीमारी अनुकूल मौसम द्वारा फसल हानि.	1 जनवरी से 15 फरवरी, 2008										
					3. बेमौसम व अधिक वर्षा से फसल हानि.	16 जनवरी से 15 फरवरी, 2008										
					4. कंद निर्माण अवधि में तापमान में बढ़ोतरी.	1 जनवरी से 15 फरवरी, 2008										
3.	आलू	पाल	अम्बिकापुर स्व. मौ. के.	अम्बिकापुर स्व. मौ. के.	1. पाला से फसल को नुकसान. (कम तापमान)	1 जनवरी से 31 जनवरी, 2008	50000	6000.00	6741.60	1685.40	1685.40	3370.80	31 जनवरी 2008	31 दिसंबर 2007	29 फरवरी 2008	31 जनवरी 2008
					2. बीमारी अनुकूल मौसम द्वारा फसल हानि.	1 जनवरी से 15 फरवरी, 2008										
					3. बेमौसम व अधिक वर्षा से फसल हानि.	16 जनवरी से 15 फरवरी, 2008										
					4. कंद निर्माण अवधि में तापमान में बढ़ोतरी.	1 जनवरी से 15 फरवरी, 2008										

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.	आलू	सामरी (कुसमी)	अम्बिकापुर स्व. मौ. के.	अम्बिकापुर स्व. मौ. के.	1. पाला से फसल को नुकसान. (कम तापमान) 2. बीमारी अनुकूल मौसम द्वारा फसल हानि. 3. बेमौसम व अधिक वर्षा से फसल हानि. 4. कंद निर्माण अवधि में तापमान में बढ़ोत्तरी.	1 जनवरी से 31 जनवरी, 2008 1 जनवरी से 15 फरवरी, 2008 16 जनवरी से 15 फरवरी, 2008 1 जनवरी से 15 फरवरी, 2008	50000	5000.00	5618.00	1404.50	1404.50	2809.00	31 जनवरी 2008	31 दिसंबर 2007	29 फरवरी 2008	31 जनवरी 2008
5.	आलू	सीतापुर	अम्बिकापुर स्व. मौ. के.	अम्बिकापुर स्व. मौ. के.	1. पाला से फसल को नुकसान. (कम तापमान) 2. बीमारी अनुकूल मौसम द्वारा फसल हानि. 3. बेमौसम व अधिक वर्षा से फसल हानि. 4. कंद निर्माण अवधि में तापमान में बढ़ोत्तरी.	1 जनवरी से 31 जनवरी, 2008 1 जनवरी से 15 फरवरी, 2008 16 जनवरी से 15 फरवरी, 2008 1 जनवरी से 15 फरवरी, 2008	50000	5400.00	6067.44	1516.86	1516.86	3033.72	31 जनवरी 2008	31 दिसंबर 2007	29 फरवरी 2008	31 जनवरी 2008

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
6.	आलू	सुरजपुर	अम्बिकापुर स्वै. मौ. के.	अम्बिकापुर स्व. मौ. के.	1. पाला से फसल को नुकसान. (कम तापमान)	1 जनवरी से 31 जनवरी, 2008	50000	6000.00	6741.60	1685.40	1685.40	3370.80	31 जनवरी 2008	31 दिसम्बर 2007	29 फरवरी 2008	31 जनवरी 2008
					2. बीमारी अनुकूल मौसम द्वारा फसलं हानि.	1 जनवरी से 15 फरवरी, 2008										
					3. बमौसम व अधिक वर्षा से फसल हानि.	16 जनवरी से 15 फरवरी, 2008										
					4. कंद निर्माण अवधि में तापमान में बढ़ोत्तरी.	1 जनवरी से 15 फरवरी, 2008										

* स्वचलित मौसम केन्द्र (NCMSL)
** भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD)

परिशिष्ट-1

छत्तीसगढ़ राज्य मौसम आधारित फसल बीमा योजना (अग्रगामी) मौसम रबी 2007-08

संदर्भित इकाई क्षेत्र, संदर्भित मौसम केन्द्र, वैकल्पिक मौसम केन्द्र, फसलवार बीमित राशि, प्रीमियम की दरें, सरकारी अनुदान और किसान द्वारा रबी 2007-08 मौसम में अग्रगामी (पायलेट) बीमा [illegible] देय प्रीमियम

जिला-बिलासपुर

क्र.	फसल	संदर्भित इकाई क्षेत्र	संदर्भित मौसम केन्द्र	वैकल्पिक (बेकअप) मौसम केन्द्र	आवरित मौसम जोखिम	जोखिम अवधि	बीमित राशि प्रति हेक्टर (रु.)	कुल प्रीमियम प्रति हेक्टर (रु.)	(कुल प्रीमियम सेवा कर सहित) प्रति हेक्टर (रु.)	(राज्य सरकार अनुदान प्रीमियम सेवा कर सहित) प्रति हेक्टर (रु.)	(केन्द्र सरकार अनुदान सेवा कर सहित) प्रति हेक्टर (रु.)	(प्रीमियम + सेवा कर) प्रति हेक्टर किसान द्वारा देय राशि (रु.)	बीमा करने की अंतिम दिनांक ऋणी कृषक	बीमा करने की अंतिम दिनांक अऋणी कृषक	एआईसी को घो[illegible] राशि के [illegible] की अंतिम [illegible] ऋणी कृषक	[illegible]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	([illegible])
1.	सरसो	बिलासपुर	बिलासपुर स्व. मौ. के.	बिलासपुर स्व. मौ. के.	1. उष्मा व अधिकतम तापमान में बढ़ोत्तरी. 2. बेमौसम वर्षा. 3. माहू के लिए अनुकूल मौसम.	1 जनवरी से 15 मार्च, 2008 1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008 1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008	15000	1200.00	1348.32	505.62	505.62	337.08	31 जनवरी 2008	31 दिसंबर 2007	29 फरवरी 2008	31 [illegible] 2008
2.	सरसो	मुंगेली	मुंगेली स्व. मौ. के.	मुंगेली स्व. मौ. के.	1. उष्मा व अधिकतम तापमान में बढ़ोत्तरी. 2. बेमौसम वर्षा. 3. माहू के लिए अनुकूल मौसम.	1 जनवरी से 15 मार्च, 2008 1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008 1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008	15000	1200.00	1348.32	505.62	505.62	337.08	31 जनवरी 2008	31 दिसंबर 2007	29 फरवरी 2008	31 [illegible] 2008

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.	सरसो	लोरमी	लोरमी स्व. मौ. के.	लोरमी स्व. मौ. के.	1. उष्मा व अधिकतम तापमान में बढ़ोत्तरी.	1 जनवरी से 15 मार्च, 2008	15000	1200.00	1348.32	505.62	505.62	337.08	31 जनवरी 2008	31 दिसंबर 2007	29 फरवरी 2008	31 जनवरी 2008
					2. बेमौसम वर्षा.	1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008										
					3. माहू के लिए अनुकूल मौसम.	1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008										

* स्वचलित मौसम केन्द्र (NCMSL)

** भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD)

परिशिष्ट-1

छत्तीसगढ़ राज्य मौसम आधारित फसल बीमा योजना (अग्रगामी) मौसम रबी 2007-08

संदर्भित इकाई क्षेत्र, संदर्भित मौसम केन्द्र, वैकल्पिक मौसम केन्द्र, फसलवार बीमित राशि, प्रीमियम की दरें, सरकारी अनुदान और किसान द्वारा रबी 2007-08 मौसम में अग्रगामी (पायलेट) बीमा योजनान्तर्गत देय प्रीमियम

जिला-कवर्धा

क्र.	फसल	संदर्भित इकाई क्षेत्र	संदर्भित मौसम केन्द्र	वैकल्पिक (बेकअप) मौसम केन्द्र	आवरित मौसम जोखिम	जोखिम अवधि	बीमित राशि प्रति हेक्टर (रु.)	कुल प्रीमियम प्रति हेक्टर (रु.)	(कुल प्रीमियम सेवा कर सहित) प्रति हेक्टर (रु.)	(राज्य सरकार अनुदान प्रीमियम सेवा कर सहित) प्रति हेक्टर (रु.)	(केन्द्र सरकार अनुदान सेवा कर सहित) प्रति हेक्टर (रु.)	(प्रीमियम+ सेवा कर) प्रति हेक्टर किसान द्वारा देय राशि (रु.)	बीमा करने की अंतिम दिनांक ऋणी कृषक	बीमा करने की अंतिम दिनांक अऋणी कृषक	एआईसी को घोषणा पत्र, प्रीमियम राशि के साथ जमा करने की अंतिम दिनांक ऋणी कृषक	एआईसी को घोषणा पत्र, प्रीमियम राशि के साथ जमा करने की अंतिम दिनांक अऋणी कृषक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	सरसो	कवर्धा	कवर्धा स्व. मौ. के.	कवर्धा स्व. मौ. के.	1. उष्मा व अधिकतम तापमान में बढ़ोत्तरी. 2. बेमौसम वर्षा. 3. माहू के लिए अनुकूल मौसम.	1 जनवरी से 15 मार्च, 2008 1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008 1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008	15000	1200.00	1348.32	505.62	505.62	337.08	31 जनवरी 2008	31 दिसंबर 2007	29 फरवरी 2008	31 जनवरी 2008
2.	सरसो	पंडरिया	पंडरिया स्व. मौ. के.	पंडरिया स्व. मौ. के.	1. उष्मा व अधिकतम तापमान में बढ़ोत्तरी. 2. बेमौसम वर्षा. 3. माहू के लिए अनुकूल मौसम.	1 जनवरी से 15 मार्च, 2008 1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008 1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008	15000	1100.00	1235.96	449.44	449.44	337.08	31 जनवरी 2008	31 दिसंबर 2007	29 फरवरी 2008	31 जनवरी 2008

* स्वचलित मौसम केन्द्र (NCMSL)

** भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD)

परिशिष्ट-1

छत्तीसगढ़ राज्य मौसम आधारित फसल बीमा योजना (अग्रगामी) मौसम रबी 2007-08

संदर्भित इकाई क्षेत्र, संदर्भित मौसम केन्द्र, वैकल्पिक मौसम केन्द्र, फसलवार बीमित राशि, प्रीमियम की दरें, सरकारी अनुदान और किसान द्वारा रबी 2007-08 मौसम में अग्रगामी (पायलेट) बीमा योजनान्तर्गत देय प्रीमियम

जिला-राजनांदगांव

क्र.	फसल	संदर्भित इकाई क्षेत्र	संदर्भित मौसम केन्द्र	वैकल्पिक (बेकअप) मौसम केन्द्र	आवरित मौसम जोखिम	जोखिम अवधि	बीमित राशि प्रति हेक्टर (रु.)	कुल प्रीमियम प्रति हेक्टर (रु.)	(कुल प्रीमियम सेवा कर सहित) प्रति हेक्टर (रु.)	(राज्य सरकार अनुदान प्रीमियम सेवा कर सहित) प्रति हेक्टर (रु.)	(केन्द्र सरकार अनुदान सेवा कर सहित) प्रति हेक्टर (रु.)	(प्रीमियम+ सेवा कर) प्रति हेक्टर किसान द्वारा देय राशि (रु.)	बीमा करने की अंतिम दिनांक ऋणी कृषक	बीमा करने की अंतिम दिनांक अऋणी कृषक	एआईसी को घोषणा पत्र, प्रीमियम राशि के साथ जमा करने की अंतिम दिनांक ऋणी कृषक	एआईसी को घोषणा पत्र, प्रीमियम राशि के साथ जमा करने की अंतिम दिनांक अऋणी कृषक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	सरसो	राजनांदगांव	राजनांदगांव स्व. मौ. के.	राजनांदगांव स्व. मौ. के.	1. उष्मा व अधिकतम तापमान में बढ़ोत्तरी.	1 जनवरी से 15 मार्च, 2008	15000	1200.00	1348.32	505.62	505.62	337.08	31 जनवरी 2008	31 दिसंबर 2007	29 फरवरी 2008	31 जनवरी 2008
					2. बेमौसम वर्षा.	1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008										
					3. माहू के लिए अनुकूल मौसम.	1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008										
2.	सरसो	डोंगरगांव	डोंगरगांव स्व. मौ. के.	डोंगरगांव स्व. मौ. के.	1. उष्मा व अधिकतम तापमान में बढ़ोत्तरी.	1 जनवरी से 15 मार्च, 2008	15000	1200.00	1348.32	505.62	505.62	337.08	31 जनवरी 2008	31 दिसंबर 2007	29 फरवरी 2008	31 जनवरी 2008
					2. बेमौसम वर्षा	1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008										
					3. माहू के लिए अनुकूल मौसम.	1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008										

* स्वचलित मौसम केन्द्र (NCMSL)

** भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD)

परिशिष्ट-1

छत्तीसगढ़ राज्य मौसम आधारित फसल बीमा योजना (अग्रगामी) मौसम रबी 2007-08

संदर्भित इकाई क्षेत्र, संदर्भित मौसम केन्द्र, वैकल्पिक मौसम केन्द्र, फसलवार बीमित राशि, प्रीमियम की दरें, सरकारी अनुदान और किसान द्वारा रबी 2007-08 मौसम में अग्रगामी (पायलेट) बीमा योजनान्तर्गत देय प्रीमियम

जिला-दुर्ग

क्र.	फसल	संदर्भित इकाई क्षेत्र	संदर्भित मौसम केन्द्र	वैकल्पिक (बेकअप) मौसम केन्द्र	आवरित मौसम जोखिम	जोखिम अवधि	बीमित राशि प्रति हेक्टर (रु.)	कुल प्रीमियम प्रति हेक्टर (रु.)	(कुल प्रीमियम सेवा कर सहित) प्रति हेक्टर (रु.)	(राज्य सरकार अनुदान प्रीमियम सेवा कर सहित) प्रति हेक्टर (रु.)	(केन्द्र सरकार अनुदान सेवा कर सहित) प्रति हेक्टर (रु.)	(प्रीमियम+ सेवा कर) प्रति हेक्टर किसान द्वारा देय राशि (रु.)	बीमा करने की अंतिम दिनांक: ऋणी कृषक	बीमा करने की अंतिम दिनांक: अऋणी कृषक	एआईसी को घोषणा पत्र, प्रीमियम राशि के साथ जमा करने की अंतिम दिनांक: ऋणी कृषक	एआईसी को घोषणा पत्र, प्रीमियम राशि के साथ जमा करने की अंतिम दिनांक: अऋणी कृषक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	सरसो	बेमेतरा	बेमेतरा स्व. मौ. के.	बेमेतरा स्व. मौ. के.	1. उष्मा व अधिकतम तापमान में बढ़ोत्तरी. 2. बेमौसम वर्षा. 3. माहू के लिए अनुकूल मौसम.	1 जनवरी से 15 मार्च, 2008 1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008 1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008	15000	1200.00	1348.32	505.62	505.62	337.08	31 जनवरी 2008	31 दिसंबर 2007	29 फरवरी 2008	31 जनवरी 2008
2.	सरसो	बेरला	बेरला स्व. मौ. के.	बेरला स्व. मौ. के.	1. उष्मा व अधिकतम तापमान में बढ़ोत्तरी. 2. बेमौसम वर्षा. 3. माहू के लिए अनुकूल मौसम.	1 जनवरी से 15 मार्च, 2008 1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008 1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008	15000	1200.00	1348.32	505.62	505.62	337.08	31 जनवरी 2008	31 दिसंबर 2007	29 फरवरी 2008	31 जनवरी 2008

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
3.	सरसो	दुर्ग	दुर्ग स्व. मौ. के.	दुर्ग स्व. मौ. के.	1. उष्मा व अधिकतम तापमान में बढ़ोत्तरी. 2. बेमौसम वर्षा. 3' माहू के लिएं अनुकूल मौसम.	1 जनवरी से 15 मार्च, 2008 1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008 1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008	15000	1200.00	1348.32	505.62	505.62	337.08	31 जनवरी 2008	31 दिसंबर 2007	29 फरवरी 2008	31 [illegible] 2008
4.	सरसो	नवागढ़	नवागढ़ स्व. मौ. के.	नवागढ़ स्व. मौ. के.	1. उष्मा व अधिकतम तापमान में बढ़ोत्तरी. 2. बेमौसम वर्षा. 3. माहू के लिए अनुकूल मौसम.	1 जनवरी से 15 मार्च, 2008 1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008 1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008	15000	1100.00	1235.96	449.44	449.44	337.08	31 जनवरी 2008	31 दिसंबर 2007	29 फरवरी 2008	31 [illegible] 2008
5.	सरसो	साजा	साजा स्व. मौ. के.	साजा स्व. मौ. के.	1. उष्मा व अधिकतम तापमान में बढ़ोत्तरी. 2. बेमौसम वर्षा. 3.माहू के लिए अनुकूल मौसम.	1 जनवरी से 15 मार्च, 2008 1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008 1 जनवरी से 29 फरवरी, 2008	15000	1000.00	1123.60	393.26	393.26	337.08	31 जनवरी 2008	31 दिसंबर 2007	29 फरवरी 2008	31 जनवरी 2008

* स्वचलित मौसम केन्द्र (NCMSL)

** भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD)

परिशिष्ट-1

छत्तीसगढ़ राज्य मौसम आधारित फसल बीमा योजना (अग्रगामी) मौसम रबी 2007-08

संदर्भित इकाई क्षेत्र, संदर्भित मौसम केन्द्र, वैकल्पिक मौसम केन्द्र, फसलवार बीमित राशि, प्रीमियम की दरें, सरकारी अनुदान और किसान द्वारा रबी 2007-08 मौसम में अग्रगामी (पायलेट) बीमा योजनान्तर्गत देय प्रीमियम

जिला-बिलासपुर

क्र.	फसल	संदर्भित इकाई क्षेत्र	संदर्भित मौसम केन्द्र	वैकल्पिक (बेकअप) मौसम केन्द्र	आवरित मौसम जोखिम	जोखिम अवधि	बीमित राशि प्रति हेक्टर (रु.)	कुल प्रीमियम प्रति हेक्टर (रु.)	(कुल प्रीमियम सेवा कर सहित) प्रति हेक्टर (रु.)	(राज्य सरकार अनुदान प्रीमियम सेवा कर सहित) प्रति हेक्टर (रु.)	(केन्द्र सरकार अनुदान सेवा कर सहित) प्रति हेक्टर (रु.)	प्रीमियम+ सेवा कर) प्रति हेक्टर किसान द्वारा देय राशि (रु.)	बीमा करने की अंतिम दिनांक ऋणी कृषक	बीमा करने की अंतिम दिनांक अऋणी कृषक	एआईसी को घोषणा पत्र, प्रीमियम राशि के साथ जमा करने की अंतिम दिनांक ऋणी कृषक	एआईसी को घोषणा पत्र, प्रीमियम राशि के साथ जमा करने की अंतिम दिनांक अऋणी कृषक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	चना	बिलासपुर	बिलासपुर स्व. मौ. के.	बिलासपुर स्व. मौ. के.	1. उष्मा व अधिकतम तापमान में बढ़ोत्तरी. 2. बेमौसम वर्षा. 3. फली छेदक प्रकोप के लिए अनुकूल मौसम.	1 जनवरी से 31 मार्च, 2008 1 जनवरी से 15 मार्च, 2008 16 जनवरी से 31 मार्च, 2008	15000	1200.00	1348.32	505.62	505.62	337.08	31 जनवरी 2008	31 दिसंबर 2007	29 फरवरी 2008	31 जनवरी 2008
2.	चना	लोरमी	लोरमी स्व. मौ. के.	लोरमी स्व. मौ. के.	1. उष्मा व अधिकतम तापमान में बढ़ोत्तरी. 2. बेमौसम वर्षा. 3. फली छेदक प्रकोप के लिए अनुकूल मौसम.	1 जनवरी से 31 मार्च, 2008 1 जनवरी से 15 मार्च, 2008 16 जनवरी से 31 मार्च, 2008	15000	1200.00	1348.32	505.62	505.62	337.08	31 जनवरी 2008	31 दिसंबर 2007	29 फरवरी 2008	31 जनवरी 2008

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.	चना	मुंगेलो	मुंगेली स्व. मौ. के.	मुंगेली स्व. मौ. के.	1. उष्मा व अधिकतम तापमान में बढ़ोत्तरी. 2. बेमौसम वर्षा. 3. फली छेदक प्रकोप के लिए अनुकूल मौसम.	1 जनवरी से 31 मार्च, 2008 1 जनवरी से 15 मार्च, 2008 16 जनवरी से 31 मार्च, 2008	15000	1200.00	1348.32	505.62	505.62	337.08	31 जनवरी 2008	31 दिसंबर 2007	29 फरवरी 2008	31 जनवरी 2008

* स्वचलित मौसम केन्द्र (NCMSL)

** भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD)

परिशिष्ट-1

छत्तीसगढ़ राज्य मौसम आधारित फसल बीमा योजना (अग्रगामी) मौसम रबी 2007-08

संदर्भित इकाई क्षेत्र, संदर्भित मौसम केन्द्र, वैकल्पिक मौसम केन्द्र, फसलवार बीमित राशि, प्रीमियम की दरें, सरकारी अनुदान और किसान द्वारा रबी 2007-08 मौसम में अग्रगामी (पायलेट) बीमा योजनान्तर्गत देय प्रीमियम

जिला-कवर्धा

क्र.	फसल	संदर्भित इकाई क्षेत्र	संदर्भित मौसम केन्द्र	वैकल्पिक (बेकअप) मौसम केन्द्र	आवरित मौसम जोखिम	जोखिम अवधि	बीमित राशि प्रति हेक्टर (रु.)	कुल प्रीमियम प्रति हेक्टर (रु.)	(कुल प्रीमियम सेवा कर सहित) प्रति हेक्टर (रु.)	(राज्य सरकार अनुदान प्रीमियम सेवा कर सहित) प्रति हेक्टर (रु.)	(केन्द्र सरकार अनुदान सेवा कर सहित) प्रति हेक्टर (रु.)	(प्रीमियम+ सेवा कर) प्रति हेक्टर किसान द्वारा देय राशि (रु.)	बीमा करने की अंतिम दिनांक		एआईसी को घोषणा पत्र, प्रीमियम राशि के साथ जमा करने की अंतिम दिनांक	
													ऋणी कृषक	अऋणी कृषक	ऋणी कृषक	अऋणी कृषक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	चना	कवर्धा	कवर्धा स्व. मौ. के.	कवर्धा स्व. मौ. के.	1. उष्मा व अधिकतम तापमान में बढ़ोत्तरी. 2. बेमौसम वर्षा. 3. फली छेदक प्रकोप के लिए अनुकूल मौसम.	1 जनवरी से 31 मार्च, 2008 1 जनवरी से 15 मार्च, 2008 16 जनवरी से 31 मार्च, 2008	15000	1200.00	1348.32	505.62	505.62	337.08	31 जनवरी 2008	31 दिसबंर 2007	29 फरवरी 2008	31 जनवरी 2008
2.	चना	पंडरिया	पंडरिया स्व. मौ. के.	पंडरिया स्व. मौ. के.	1. उष्मा व अधिकतम तापमान में बढ़ोत्तरी. 2. बेमौसम वर्षा. 3. फली छेदक प्रकोप के लिए अनुकूल मौसम.	1 जनवरी से 31 मार्च, 2008 1 जनवरी से 15 मार्च, 2008 16 जनवरी से 31 मार्च, 2008	15000	1200.00	1348.32	505.62	505.62	337.08	31 जनवरी 2008	31 दिसबंर 2007	29 फरवरी 2008	31 जनवरी 2008

* स्वचलित मौसम केन्द्र ([illegible]MSL)

** भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD)

परिशिष्ट-1

छत्तीसगढ़ राज्य मौसम आधारित फसल बीमा योजना (अग्रगामी) मौसम रबी 2007-08

संदर्भित इकाई क्षेत्र, संदर्भित मौसम केन्द्र, वैकल्पिक मौसम केन्द्र, फसलवार बीमित राशि, प्रीमियम की दरें, सरकारी अनुदान और किसान द्वारा रबी 2007-08 मौसम में अग्रगामी (पायलेट) बीमा योजनान्तर्गत देय प्रीमियम

जिला-राजनांदगांव

क्र.	फसल	संदर्भित इकाई क्षेत्र	संदर्भित मौसम केन्द्र	वैकल्पिक (बेकंअप) मौसम केन्द्र	आवरित मौसम जोखिम	जोखिम अवधि	बीमित राशि प्रति हेक्टर (रु.)	कुल प्रीमियम प्रति हेक्टर (रु.)	(कुल प्रीमियम सेवा कर सहित) प्रति हेक्टर (रु.)	(राज्य सरकार अनुदान प्रीमियम सेवा कर सहित) प्रति हेक्टर (रु.)	(केन्द्र सरकार अनुदान सेवा कर सहित) प्रति हेक्टर (रु.)	(प्रीमियम+ सेवा कर) प्रति हेक्टर किसान द्वारा देय राशि (रु.)	बीमा करने की अंतिम दिनांक: ऋणी कृषक	बीमा करने की अंतिम दिनांक: अऋणी कृषक	एआईसी को घोषणा पत्र, प्रीमियम राशि के साथ जमा करने की अंतिम दिनांक: ऋणी कृषक	एआईसी को घोषणा पत्र, प्रीमियम राशि के साथ जमा करने की अंतिम दिनांक: अऋणी कृषक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	चना	राजनांदगांव	राजनांदगांव स्व. मौ. के.	राजनांदगांव स्व. मौ. के.	1. उष्मा व अधिकतम तापमान में बढ़ोत्तरी. 2. बेमौसम वर्षा. 3. फली छेदक प्रकोप के लिए अनुकूल मौसम.	1 जनवरी से 31 मार्च, 2008 1 जनवरी से 15 मार्च, 2008 16 जनवरी से 31 मार्च, 2008	15000	1100.00	1235.96	449.44	449.44	337.08	31 जनवरी 2008	31 दिसंबर 2007	29 फरवरी 2008	31 जनवरी 2008
2.	चना	डोंगरगांव	डोंगरगांव स्व. मौ. के.	डोंगरगांव स्व. मौ. के.	1. उष्मा व अधिकतम तापमान में बढ़ोत्तरी. 2. बेमौसम वर्षा. 3. फली छेदक प्रकोप के लिए अनुकूल मौसम.	1 जनवरी से 31 मार्च, 2008 1 जनवरी से 15 मार्च, 2008 16 जनवरी से 29 फरवरी, 2008	15000	1100.00	1235.96	449.44	449.44	337.08	31 जनवरी 2008	31 दिसंबर 2007	29 फरवरी 2008	31 जनवरी 2008

* स्वचलित मौसम केन्द्र (NCMSL)

** भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD)

परिशिष्ट-1

छत्तीसगढ़ राज्य मौसम आधारित फसल बीमा योजना (अग्रगामी) मौसम रबी 2007-08

संदर्भित इकाई क्षेत्र, संदर्भित मौसम केन्द्र, वैकल्पिक मौसम केन्द्र, फसलवार बीमित राशि, प्रीमियम की दरें, सरकारी अनुदान और किसान द्वारा रबी 2007-08 मौसम में अग्रगामी (पायलेट) बीमा योजनान्तर्गत देय प्रीमियम

जिला-दुर्ग

क्र.	फसल	संदर्भित इकाई क्षेत्र	संदर्भित मौसम केन्द्र	वैकल्पिक (बेकअप) मौसम केन्द्र	आवरित मौसम जोखिम	जोखिम अवधि	बीमित राशि प्रति हेक्टर (रु.)	कुल प्रीमियम प्रति हेक्टर (रु.)	(कुल प्रीमियम सेवा कर सहित) प्रति हेक्टर (रु.)	(राज्य सरकार अनुदान प्रीमियम सेवा कर सहित) प्रति हेक्टर (रु.)	(केन्द्र सरकार अनुदान सेवा कर सहित) प्रति हेक्टर (रु.)	(प्रीमियम+ सेवा कर) प्रति हेक्टर किसान द्वारा देय राशि (रु.)	बीमा करने की अंतिम दिनांक		एआईसी को घोषणा पत्र, प्रीमियम राशि के साथ जमा करने की अंतिम दिनांक	
													ऋणी कृषक	अऋणी कृषक	ऋणी कृषक	अऋणी कृषक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	चना	बेमेतरा	बेमेतरा स्व. मौ. के.	बेमेतरा स्व. मौ. के.	1. उष्मा व अधिकतम तापमान में बढ़ोत्तरी. 2. बेमौसम वर्षा. 3. फली छेदक प्रकोप के लिए अनुकूल मौसम.	1 जनवरी से 31 मार्च, 2008 1 जनवरी से 15 मार्च, 2008 16 जनवरी से 31 मार्च, 2008	15000	1100.00	1235.96	449.44	449.44	337.08	31 जनवरी 2008	31 दिसंबर 2007	29 फरवरी 2008	31 जनवरी 2008
2.	चना	बेरला	बेरला स्व. मौ. के.	बेरला स्व. मौ. के.	1. उष्मा व अधिकतम तापमान में बढ़ोत्तरी. 2. बेमौसम वर्षा 3. फली छेदक प्रकोप के लिए अनुकूल मौसम.	1 जनवरी से 31 मार्च, 2008 1 जनवरी से 15 मार्च, 2008 16 जनवरी से 31 मार्च, 2008	15000	1100.00	1235.96	449.44	505.62	337.08	31 जनवरी 2008	31 दिसंबर 2007	29 फरवरी 2008	31 जनवरी 2008

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.	चना	दुर्ग	दुर्ग स्व. मौ. के.	दुर्ग स्व. मौ. के.	1. उष्मा व अधिकतम तापमान में बढ़ोत्तरी. 2. बेमौसम वर्षा. 3. फली छेदक प्रकोप के लिए अनुकूल मौसम.	1 जनवरी से 31 मार्च, 2008 1 जनवरी से 15 मार्च, 2008 16 जनवरी से 31 मार्च, 2008	15000	1050.00	1179.78	421.35	421.35	337.08	31 जनवरी 2008	31 दिसंबर 2007	29 फरवरी 2008	31 जनवरी 2008
4.	चना	नवागढ़	नवागढ़ स्व. मौ. के.	नवागढ़ स्व. मौ. के.	1. उष्मा व अधिकतम तापमान में बढ़ोत्तरी. 2. बेमौसम वर्षा. 3. फली छेदक प्रकोप के लिए अनुकूल मौसम.	1 जनवरी से 31 मार्च, 2008 1 जनवरी से 15 मार्च, 2008 16 जनवरी से 31 मार्च, 2008	15000	1050.00	1179.78	421.35	421.35	337.08	31 जनवरी 2008	31 दिसंबर 2007	29 फरवरी 2008	31 जनवरी 2008
5.	चना	साजा	साजा स्व. मौ. के.	साजा स्व. मौ. के.	1. उष्मा व अधिकतम तापमान में बढ़ोत्तरी. 2. बेमौसम वर्षा. 3. फली छेदक प्रकोप के लिए अनुकूल मौसम	1 जनवरी से 31 मार्च, 2008 1 जनवरी से 15 मार्च, 2008 16 जनवरी से 31 मार्च, 2008	15000	1050.00	1179.78	421.35	421.35	337.08	31 जनवरी 2008	31 दिसंबर 2007	29 फरवरी 2008	31 जनवरी 2008

* स्वचलित मौसम केन्द्र (NCMSL)

** भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD)

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग.

सरगुजा, दिनांक 8 जनवरी 2008

रा. प्र. क्र. 1 अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	देवीपुर	0.69	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर जिला- सरगुजा (छ.ग.)	देवीपुर जलाशय के स्पिल चैनल निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

प्र. क्र. 10 अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	झिंगराडोंगरी प. ह. नं. 05	10.797	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली, जिला- बिलासपुर.	मोहपाण जलाशय योजना के शीर्ष कार्य एफलेक्स बंध में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोममणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 6 सितम्बर 2007

क्रमांक 1924 /प्र.- 1/भू-अर्जन/अ. वि. अ./2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुंडरदेही	सिब्दी प. ह. नं. 4	0.113	कार्यपालन अभियंता, मोहदीपाट परि. संभाग, दुर्ग	खरखरा मोहंदीपाट पैकेट-2 हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनु. अधि. (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 6 सितम्बर 2007

क्रमांक 1922 /प्र.- 1/भू-अर्जन/अ. वि. अ./2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुंडरदेही	सिब्दी प. ह. नं. 4	1.73	कार्यपालन अभियंता, मोहदीपाट परि. संभाग, दुर्ग.	खरखरा मोहंदीपाट परि. मुख्य नहर नाली एवं माइनर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनु. अधि. (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2007

क्रमांक 242 /भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	शंकरपाली	0.081	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 4, डभरा.	गिरगिरा ब्रा. माइ. 1 आर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव बांगो परियोजना, सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2007

क्रमांक 241 /भू-अर्जन/2007—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	दर्री	0.186	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 4, डभरा.	गिरगिरा माइनर 4 आर/1 आर ब्रा. माइ. 5 L. ब्रा. माइ.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव बांगो परियोजना, सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 31 अगस्त 2007

क्रमांक 1 /अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	गुम्माटोला	6.75	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	सेमरहा जलाशय मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 6 नवम्बर 2007

क्रमांक 77 /अ-82/2005-06—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	कुदरी	0.782	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	अपरखुज्जी जलाशय नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2007

क्रमांक 1 /अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	मिट्ठू नवागांव प. ह. नं. 3	2.279	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	नहर निर्माण के लिए

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2007

क्रमांक 2 /अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	कोनचरा प. ह. नं. 3	1.965	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	नहर निर्माण के लिए

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

क्रमांक 01 /अ-82/2007-08/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	उड़नताल	0.182	कार्यपालन अभियंता खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	मोतिमपुर एनीकट पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

क्रमांक /क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 02/अ-82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			खसरा नं. (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)		
रायपुर	रायपुर	तुलसी प. ह. नं. 111			कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग क्र. 1, रायपुर.	जोरा-सड्डू-धनेली मार्ग हेतु भूमि का अर्जन.
			1325	0.279		
			1326	0.126		
			1328	0.089		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			(1)	(2)		
			1329/1	0.202		
			1329/9	0.028		
			1330	0.178		
			1331	0.209		
			1365/7	0.131		
		योग	08	1.242		

रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

क्रमांक /क/वा./भू.अ./प्र.क्र./06/अ-82/ वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	रावांभाठा प. ह. नं. 100	खसरा नं. (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)	संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय, पण्डरी, रायपुर.	मेटल पार्क की स्थापना हेतु.
			392/2	1.279		
			328/5 क	0.040		
			366/4	0.072		
			366/7	0.056		
			366/8	0.057		
			366/9	0.165		
			318	0.069		
			329/3	0.097		
			328/16	0.190		
			387/2	0.040		
			328/28	0.533		
			364/2	0.206		
			347	0.247		
			351/3	0.069		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			(1)	(2)		
			364/4	0.239		
			328/17	0.728		
			340/4	0.162		
			311	0.437		
			320/2	0.202		
			319	0.619		
			307/3	0.176		
			329/6	0.210		
			329/7	0.202		
			370	0.425		
			356/3	0.295		
			356/8	0.607		
			357	0.696		
			328/26	0.012		
			358/6	0.166		
			364/7	0.081		
			364/8	0.178		
			364/9	0.089		
			307/1	0.352		
			313/1	0.154		
			354/3 355/3	0.416		
			358/9	0.109		
			354/2 355/2	0.533		
			358/1	0.109		
			328/15	0.033		
			344/2	0.308		
			323/4 324/4	0.129		
			313/4	0.154		
			354/6 355/6	0.472		
			328/6	0.040		
			328/7	0.138		
			328/11	0.405		
			328/12	0.243		
			328/14	0.587		
			330/2	1.299		
			384/3	0.324		
			387/4	1.619		
			390/4	1.259		
			353/2	0.607		
			336	0.186		
			328/32	0.186		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			(1)	(2)		
			363	0.971		
			356/12	0.134		
			354/1 355/1	0.421		
			358/7	0.113		
			345/3	0.134		
			321/2	0.190		
			340/5	0.324		
			309/3	0.165		
			343	0.121		
			381/3	0.142		
			328/20	0.607		
			328/38	0.890		
			356/2	0.118		
			323/5 324/5	0.161		
			359/1	0.251		
			315/3	0.243		
			342/2	0.235		
			356/11	0.020		
			356/16	0.113		
			340/7	0.238		
			321/3	0.337		
			356/19	0.809		
			366/12	0.104		
			366/13	0.148		
			316/2	0.202		
			342/1	0.239		
			341/1	0.506		
			341/2	0.126		
			328/36	0.437		
			313/3	0.308		
			354/4 355/4	0.461		
			390/3	1.846		
			339/1	0.255		
			349/2	0.170		
			350/1,2,3 351/1	0.308		
			346/2	0.180		
			328/13	0.020		
			356/15	0.239		
			356/17	0.113		
			356/18	0.029		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			(1)	(2)		
			328/10	0.081		
			309/1	0.171		
			309/2	0.053		
			309/4	0.283		
			341/3	0.458		
			341/4	0.279		
			358/3	0.057		
			358/5	0.166		
			328/33	0.186		
			328/34	0.186		
			328/35	0.186		
			305	0.376		
			312	0.563		
			366/10	0.124		
			366/11	0.116		
			328/18	0.405		
			340/1	0.263		
			340/9	0.166		
			306	0.781		
			366/1	0.243		
			366/2	0.607		
			366/3	0.413		
			366/5	0.741		
			366/6			
			378	0.745		
			327	0.057		
			328/2	0.405		
			356/6	0.263		
			356/10	0.154		
			376	1.113		
			369/3	0.015		
			310/2	0.267		
			323/1	0.141		
			324/1			
			315/1-2	0.332		
			359/2	0.251		
			360			
			328/3	0.065		
			373/1	0.243		
			373/2	0.206		
			373/3	0.097		
			387/3	0.113		
			340/6	0.202		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(1)	(2)
379/1	0.174
320/1	0.299
316/4	0.101
313/2	0.312
317	0.486
361	0.425
362	0.388
369/2	0.051
358/8	0.117
381/2	0.312
387/1	1.854
390/1	1.218
308	0.506
337/2	0.182
337/3	0.182
340/2	0.547
328/19	0.544
322	0.251
325/1	0.231
321/4	0.121
326/1	0.146
345/1	0.040
345/2	0.041
348	0.295
349/1	0.405
326/3	0.149
351/2	0.202
352	0.445
326/2	0.295
328/9	0.065
339/2	0.170
339/3	0.085
316/1	0.291
328/5	0.109
307/2	0.176
329/5	0.214
356/20	0.054
356/21	0.194
328/37	0.222
328/39	0.607
323/2 324/2	0.231
323/3 324/3	0.113

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(1)	(2)
328/4	0.081
328/29	0.607
328/31	0.405
346/1	0.180
340/3	0.167
340/8	0.324
356/1	0.101
356/4	0.607
356/9	0.607
356/7	0.142
328/23	0.077
329/1	0.137
356/5	0.055
356/13	0.105
356/14	0.088
328/25	0.004
328/27	0.012
328/8	0.012
358/2	0.105
364/1	0.077
364/3	0.174
364/5	0.093
328/21	3.237
330/1	1.295
384/2	0.202
388	0.283
390/2	1.886
369/4	0.010
381/1	0.202
379/2	0.263
380/2	0.045
358/4	0.117
356/22	0.477
310/1	0.[illegible]86
325/2	0.235
353/3	0.466
372	0.085
374	0.428
375/1	
375/2	0.680
314	0.214
353/1	0.465
382	0.364
371	0.231
369/1	0.988

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			(1)	(2)		
			354/5	0.457		
			355/5			
			364/6	0.223		
			365			
			321/1	0.125		
			377	1.246		
			344/1	0.307		
			316/3	0.143		
			328/40	0.528		
			338	0.271		
			329/4	0.433		
		योग	224	75.409		

रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

क्रमांक /क/वा./भू.अ./प्र.क्र./07/अ-82 वर्ष/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			खसरा नं. (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)		
रायपुर	रायपुर	बीरगांव प. ह. नं. 101			संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय, पण्डरी, रायपुर.	मेटल पार्क की स्थापना हेतु.
			4/1	0.332		
			4/2	0.405		
			5/1	0.332		
			5/2	0.405		
			5/3	0.707		
			6/1	0.125		
			6/2	0.126		
			7/1	1.109		
			7/2	0.368		
			10/3	0.129		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			(1)	(2)		
			10/4	0.097		
			19/4 295	0.189		
		योग	12	4.267		

रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

क्रमांक /क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./08/अ-82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	कचना प. ह. नं. 110	खसरा नं. (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)	कार्यपालन अभियंता, छ. ग. गृह निर्माण मण्डल संभाग क्र.-1, रायपुर.	कमजोर वर्ग के हितग्राहियों के आवास निर्माण हेतु अर्जन.
			1048/1	11.408		
			1048/1193	2.310		
			1048/1194	1.672		
		योग	3	15.390		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 1 जनवरी 2008

क्रमांक /भू-अर्जन/प्र. क्र. 5/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णम-
- (क) जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा
- (ख) तहसील-दन्तेवाड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-मिडकुलनार, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.94 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	71	0.45
	73	0.20
	67	0.29
योग		0.94

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-फरसपाल तालाब के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, दन्तेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शोरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुंद, दिनांक 17 दिसम्बर 2007

क्रमांक 136 /भू-अर्जन/ अविअ/10 अ/82 वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-महासमुंद
- (ग) नगर/ग्राम-लभराकला, प. ह. नं. 130/66
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.28 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	415	0.13
	405	0.15
योग	02	0.28

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-खट्टी परसदा मार्ग के कि. मी. 4/10 पर बघनई नाला पर पुलिया निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. जायसवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

क्रमांक /क./वा./भू. अ./अ. वि. अ./प्र. क्र./02/अ-82/ वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-सेमरिया, प. ह. नं. 80/01
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.36 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
900	3.25

(1)	(2)
922	0.12
940	3.36
942	1.55
944	0.72
984	0.36
योग 6	9.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-सेमरिया, मंदिर हसौद में मण्डल की आवासीय योजना हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2008

क्रमांक /क/वा./भू. अ./अ. वि. अ./प्र. क्र./01/अ-82/वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-नरदहा, प. ह. नं. 80/11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-39.08 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1091	3.83
1380	13.61
1454	0.69
1501	17.14
1503	3.81
योग 5	39.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नरदहा, मंदिर हसौद में मण्डल की आवासीय योजना हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी,रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 23 नवम्बर 2007

क्रमांक 15360/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बडेसाल्ही
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.23 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2129	0.06
2132	0.08
2140	0.04
2147	0.05
योग 4	0.23

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गणेशपुर-बचरापोंड़ी मार्ग पर गेज सेतु के पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 23 नवम्बर 2007

क्रमांक 15363/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-भरतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बड़वाही
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.22 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
877	0.22
योग	0.22

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जनकपुर-सीधी मार्ग पर मवई सेतु के पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 23 नवम्बर 2007

क्रमांक 15363/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सात) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-घोड़बन्धा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.05 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
16	0.05
योग	0.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मनेन्द्रगढ़-जनकपुर मार्ग पर खटम्बर सेतु के पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शहला निगार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.